रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072023-247111
CG-DL-E-06072023-247111

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2023/आषाढ़ 15, 1945
No. 389] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2023/ASHADHA 15, 1945

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 482(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद और ऋण वसूली अधिकरण इलाहाबाद, रांची, जबलपुर, पटना, लखनऊ और देहरादून भर्ती नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलाहाबाद और ऋण वसूली अधिकरण इलाहाबाद, रांची, जबलपुर, पटना, लखनऊ और देहरादून भर्ती नियम (संशोधन), 2023 है ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलाहाबाद और ऋण वसूली अधिकरण इलाहाबाद, रांची, जबलपुर, पटना, लखनऊ और देहरादून भर्ती नियम, 2018 की दूसरी अनुसूची के 'सहायक रजिस्ट्रार' के पद से संबंधित क्रं. सं. 2, स्तंभ (1) के सामने 'प्रोन्नति' शीर्ष के अधीन स्तंभ (11) में -

(i) उपखंड (i) और उपखंड (ii) में, "सात वर्ष" शब्दों, दोनों स्थानों पर जहां- जहां वे आते है, के स्थान पर "नौ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलाहाबाद और ऋण वसूली अधिकरण इलाहाबाद, रांची, जबलपुर, पटना, लखनऊ और देहरादून भर्ती नियम (संशोधन), 2023 के प्रारंभ से ठीक पूर्व नियमित आधार पर फीडर पदों को धारण करने वाले विद्यमान पदधारियों के लिए विद्यमान पात्रता मानदंड, अर्थात सात वर्ष लागू होगी"

[फा. सं. 04/02/2022-डीआरटी]

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 535(अ), तारीख 8 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना सं. सा.का.नि.426(अ), तारीख 21 जून, 2021 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2023

G.S.R. 482(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad and Debts Recovery Tribunals at Allahabad, Ranchi, Jabalpur, Patna, Lucknow and Dehradun Recruitment Rules, 2018, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad and Debts Recovery Tribunals at Allahabad, Ranchi, Jabalpur, Patna, Lucknow and Dehradun Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad and Debts Recovery Tribunals at Allahabad, Ranchi, Jabalpur, Patna, Lucknow and Dehradun Recruitment Rules, 2018, in the Second Schedule, against serial number 2 in column (1), relating to the post of 'Assistant Registrar', in column (11), under the heading 'Promotion' —

(i) in sub-clauses (i) and (ii), for the words "seven years" at both places where they occur, the words "nine years" shall be substituted;

(ii) after sub-clauses (i) and (ii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for existing incumbents holding the feeder posts on regular basis immediately before the commencement of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad and Debts Recovery Tribunals at Allahabad, Ranchi, Jabalpur, Patna, Lucknow and Dehradun Recruitment (Amendment) Rules, 2023, the existing eligibility criteria, i.e., seven years shall be applicable.".

[F. No. 04/02/2022-DRT]

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 535 (E), dated the 8th June, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R 426 (E) dated the 21st June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 483(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण एर्णाकुलम, चेन्नई, मदुरै, कोयंबतूर और बंगलोर भर्ती नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण एर्णाकुलम, चेन्नई, मदुरै, कोयंबतूर और बंगलोर भर्ती नियम (संशोधन), 2023 है ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण एर्णाकुलम, चेन्नई, मदुरै, कोयंबतूर और बंगलोर भर्ती नियम, 2018 की दूसरी अनुसूची के 'सहायक रजिस्ट्रार' के पद से संबंधित क्रं. सं. 2, स्तंभ (1) के सामने 'प्रोन्नति' शीर्ष के अधीन स्तंभ (11) में -

(i) उपखंड (i) और उपखंड (ii) में, "सात वर्ष" शब्दों, दोनों स्थानों पर जहां- जहां वे आते है, के स्थान पर "नौ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण एर्णाकुलम, चेन्नई, मदुरै, कोयंबतूर और बंगलोर भर्ती नियम (संशोधन), 2023 के प्रारंभ से ठीक पूर्व नियमित आधार पर फीडर पदों को धारण करने वाले विद्यमान पदधारियों के लिए विद्यमान पात्रता मानदंड, अर्थात सात वर्ष लागू होगी"

[फा. सं. 04/02/2022-डीआरटी]

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 536(अ), तारीख 8 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना सं. सा.का.नि.427(अ), तारीख 21 जून, 2021 के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2023

G.S.R. 483(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and Debts Recovery Tribunals at Ernakulam, Chennai, Madurai, Coimbatore and Bangalore Recruitment Rules, 2018, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and Debts Recovery Tribunals at Ernakulam, Chennai, Madurai, Coimbatore and Bangalore Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and Debts Recovery Tribunals at Ernakulam, Chennai, Madurai, Coimbatore and Bangalore Recruitment Rules, 2018, in the Second Schedule, against serial number 2 in column (1), relating to the post of 'Assistant Registrar', in column (11), under the heading 'Promotion' —

(i) in sub-clauses (i) and (ii), for the words "seven years" at both places where they occur, the words "nine years" shall be substituted;

(ii) after sub-clauses (i) and (ii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for existing incumbents holding the feeder posts on regular basis immediately before the commencement of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and Debts Recovery Tribunals at Ernakulam, Chennai, Madurai, Coimbatore and Bangalore Recruitment (Amendment) Rules, 2023, the existing eligibility criteria, i.e., seven years shall be applicable.".

[F. No. 04/02/2022-DRT]

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 536 (E), dated the 8th June, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R 427 (E) dated the 21st June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 484(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती नियम (संशोधन), 2023 है ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती नियम, 2018 की दूसरी अनुसूची के 'सहायक रजिस्ट्रार' के पद से संबंधित क्रं. सं. 2, स्तंभ (1) के सामने 'प्रोन्नति' शीर्ष के अधीन स्तंभ (11) में -

(i) उपखंड (i) और उपखंड (ii) में, "सात वर्ष" शब्दों, दोनों स्थानों पर जहां- जहां वे आते है, के स्थान पर "नौ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 के प्रारंभ से ठीक पूर्व नियमित आधार पर फीडर पदों को धारण करने वाले विद्यमान पदधारियों के लिए विद्यमान पात्रता मानदंड, अर्थात सात वर्ष लागू होगी"

[फा. सं. 04/02/2022-डीआरटी]

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 537(अ), तारीख 8 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना सं. सा.का.नि.428(अ), तारीख 21 जून, 2021 के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2023

G.S.R. 484(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and Debts Recovery Tribunals at Chandigarh, Delhi and Jaipur Recruitment Rules, 2018, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and Debts Recovery Tribunals at Chandigarh, Delhi and Jaipur Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and Debts Recovery Tribunals at Chandigarh, Delhi and Jaipur Recruitment Rules, 2018, in the Second Schedule, against serial number 2 in column (1), relating to the post of 'Assistant Registrar', in column (11), under the heading 'Promotion' —

(i) in sub-clauses (i) and (ii), for the words "seven years" at both places where they occur, the words "nine years" shall be substituted;

(ii) after sub-clauses (i) and (ii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for existing incumbents holding the feeder posts on regular basis immediately before the commencement of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and Debts Recovery Tribunals at Chandigarh, Delhi and Jaipur Recruitment (Amendment) Rules, 2023, the existing eligibility criteria, i.e., seven years shall be applicable.".

[F. No. 04/02/2022-DRT]

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 537 (E), dated the 8th June, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R 428 (E) dated the 21st June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 485(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता और ऋण वसूली अधिकरण हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, विशाखापट्टनम, सिलीगुड़ी और कटक भर्ती नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण कोलकाता और ऋण वसूली अधिकरण हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, विशाखापट्टनम, सिलीगुड़ी और कटक भर्ती नियम (संशोधन), 2023 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण कोलकाता और ऋण वसूली अधिकरण हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, विशाखापट्टनम, सिलीगुड़ी और कटक भर्ती नियम, 2018 की दूसरी अनुसूची के 'सहायक रजिस्ट्रार' के पद से संबंधित क्रं. सं. 2, स्तंभ (1) के सामने 'प्रोन्नति' शीर्ष के अधीन स्तंभ (11) में -

(i) उपखंड (i) और उपखंड (ii) में, "सात वर्ष" शब्दों, दोनों स्थानों पर जहां- जहां वे आते है, के स्थान पर "नौ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण कोलकाता और ऋण वसूली अधिकरण हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, विशाखापट्टनम, सिलीगुड़ी और कटक भर्ती नियम (संशोधन), 2023 के प्रारंभ से ठीक पूर्व नियमित आधार पर फीडर पदों को धारण करने वाले विद्यमान पदधारियों के लिए विद्यमान पात्रता मानदंड, अर्थात सात वर्ष लागू होगी"

[फा. सं. 04/02/2022-डीआरटी]

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 538(अ), तारीख 8 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना सं. सा.का.नि. 429(अ), तारीख 21 जून, 2021 के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2023

G.S.R. 485(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and Debts Recovery Tribunals at Hyderabad, Guwahati, Kolkata, Visakhapatnam, Siliguri and Cuttack Recruitment Rules, 2018, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and Debts Recovery Tribunals at Hyderabad, Guwahati, Kolkata, Visakhapatnam, Siliguri and Cuttack Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and Debts Recovery Tribunals at Hyderabad, Guwahati, Kolkata, Visakhapatnam, Siliguri and Cuttack Recruitment Rules, 2018, in the Second Schedule, against serial number 2 in column (1), relating to the post of 'Assistant Registrar', in column (11), under the heading 'Promotion' —

(i) in sub-clauses (i) and (ii), for the words "seven years" at both places where they occur, the words "nine years" shall be substituted;

(ii) after sub-clauses (i) and (ii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for existing incumbents holding the feeder posts on regular basis immediately before the commencement of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and Debts Recovery Tribunals at Hyderabad, Guwahati, Kolkata, Visakhapatnam, Siliguri and Cuttack Recruitment (Amendment) Rules, 2023, the existing eligibility criteria, i.e., seven years shall be applicable.".

[F. No. 04/02/2022-DRT]

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 538 (E), dated the 8th June, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R 429 (E) dated the 21st June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 486(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण औरंगाबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर भर्ती नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण औरंगाबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर भर्ती नियम (संशोधन), 2023 है ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण औरंगाबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर भर्ती नियम, 2018 की दूसरी अनुसूची के 'सहायक रजिस्ट्रार' के पद से संबंधित क्रं. सं. 2, स्तंभ (1) के सामने 'प्रोन्नति' शीर्ष के अधीन स्तंभ (11) में -

(i) उपखंड (i) और उपखंड (ii) में, "सात वर्ष" शब्दों, दोनों स्थानों पर जहां- जहां वे आते है, के स्थान पर "नौ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण औरंगाबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे, और नागपुर भर्ती नियम (संशोधन), 2023 के प्रारंभ से ठीक पूर्व नियमित आधार पर फीडर पदों को धारण करने वाले विद्यमान पदधारियों के लिए विद्यमान पात्रता मानदंड, अर्थात सात वर्ष लागू होगी"

[फा. सं. 04/02/2022-डीआरटी]

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 539(अ), तारीख 8 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना सं. सा.का.नि.430(अ), तारीख 21 जून, 2021 के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2023

G.S.R. 486(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and Debts Recovery Tribunals at Aurangabad, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Nagpur Recruitment Rules, 2018, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and Debts Recovery Tribunals at Aurangabad, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Nagpur Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and Debts Recovery Tribunals at Aurangabad, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Nagpur Recruitment Rules, 2018, in the Second Schedule, against serial number 2 in column (1), relating to the post of 'Assistant Registrar', in column (11), under the heading 'Promotion' —

(i) in sub-clauses (i) and (ii), for the words "seven years" at both places where they occur, the words "nine years" shall be substituted;

(ii) after sub-clauses (i) and (ii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for existing incumbents holding the feeder posts on regular basis immediately before the commencement of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and Debts Recovery Tribunals at Aurangabad, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Nagpur Recruitment (Amendment) Rules, 2023, the existing eligibility criteria, i.e., seven years shall be applicable.".

[F. No. 04/02/2022-DRT]

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 539(E), dated the 8th June, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 430(E) dated the 21st June, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA